162/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 162/2016 अनवानी श्री नक्षत्रसिंह पुत्र हमीरसिंह निवासी वार्ड न0 8 रायसिंहनगर बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

11–02–2017

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री नक्षत्र सिंह उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 05.09.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से चाही गई सूचनांए उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री नक्षत्र सिंह ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 05.09.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थी:–

> नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा वार्ड न0 19 के भडभूंजा बाजार में आम सडक एवं पार्किंग की भूमि पर अवैध रूप से काटे गए पटटो की जॉच कर उन्हे निरस्त करने की कार्यवाही हेतु सभांगीय आयुक्त बीकानेर संभाग बीकानेर द्वारा जिला कलक्टर को लिखा गया। 08.08.12 को आप द्वारा उस पर की गई कार्यवाही की पालनो रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि देने का कष्ट करें।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर प्रभारी अधिकारी , सामान्य प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 11224 दिनांक 16.11.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र के संबंध में पत्र सं0 8730–32 दिनांक 14.09.2016 से अवगत करवा दिया था कि पत्र सं0 7968 दिनांक 01.09.2016 के द्वारा उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर को संभागीय आयुक्त बीकानेर के पत्र सं0 1425 दिनांक 0808.16, 1507 दिनांक 12.08.16 भिजवाकर प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करवाकर प्रार्थी को सूचित करने के लिए लिखा गया है जिसकी प्रति प्रार्थी भी दी गयी है। प्रकरण में कार्यवाही उपनिदेशक स्तर पर होनी है अतः उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर से सूचना प्राप्त करे।

चूंकि अपीलार्थी का प्रा0 पत्र संभागीय आयुक्त बीकानेर के पत्र दिनांक 08.08. 2016 के द्वारा प्राप्त होने पर उक्त पत्र दिनांक 08.08.16, 12.08.16 उपनिदेशक, स्थानीय निकाय बीकानेर को भिजवाये जा चुके है जिस पर नियमानुसार कानुनी कार्यवाही की जानी है, वह उनके द्वारा की जानी है जिसकी सूचना अपीलार्थी को दी जा चुकी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। प्रभारी अधिकारी, सामान्य प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को उनकी शाखा का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालनार्थ लौटाया जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानी राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर